प्रारूप-छ (संलग्नक-6) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)



यूआईडी संख्या : UPFS/2024/124103/JHS/JHANSI/716/CFO

दिनांक: 08-07-2024

3248+900

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स NIRMALA CONVENT SCHOOL पता 273,ISAITOLA PREM NAGAR GARIYA PHATAK, Jhansi तहसील - Jhansi प्लाट एरिया 16171 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 3243 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की मंख्या - 2 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
Δ	12	0	7.35 mt.
В	3	0	10.8 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स NIRMALA CONVENT SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरों के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 09-07-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SISTER DOREEN के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 09-07-2024 से 09-07-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स NIRMALA CONVENT SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स NIRMALA CONVENT SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-यत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र सान्य नहीं होता ।"

Note: aas per inspection and recommendation report of FSSO JHANSI.IT SOAL RESPONSIBILITY OF OWNER / OCCUPIER THAT ALL FIRE FIGHTING SYSTEMS MUST BE ALWAYS IN WORKING CONDITION AND REMAIN AVAILABLE AS PER NORMS EVERY TIME WITH TRAINED FIRE AND ELECTRIC SAFETY STAFF SHOULD BE ASSIGNED FOR THESE DUTIES.ALL EXITS/STAIRCASE SHOULD ALWAYS BE KEPT FREE FROM OBSTRUCTIONS AND REMAIN AVAILABLE AS PER NORMS EVERY TIME.IF ANY CHANGE IN SCHOOL BUILDING PRIOR PERMISSION ARE REQUIRED FROM FIRE SERVICE. IF ANY TIME ANY FIRE SAFETY NORMES VIOLATED BY THE OWNER/ OCCUPIERS THEN THE ISSUED FIRE SAFETY REPORT LAPSE AUTOMATICALY.

निर्गत किये जाने का दिनांक: 09-07-2024

स्थान : JHANSI



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAJ KISHOR RAI

0AFB625D4ECF7FFF9213461EF08FC8ACF5EC51FD

09-07-2024

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.